

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर०ई० वाद सं०-68/1986-87

म० हमिद अंसारी एवं अन्य.....आवेदक
बनाम
अबुल मियाँ एवं अन्य.....विपक्षी

आदेश

06/05/2016


यह आर०ई० वाद सं०-68/86-87 म० हमीद अंसारी एवं अन्य बनाम अबुल मियाँ एवं अन्य मौजा नवाडीह अंचल सरैयाहाट के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में प्रारंभ किया गया है जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका ने रे०मि० वाद सं०-61/62-63 में पारित आदेश की पुनरीक्षण (Riview) अनुमति स्वीकृति हेतु स०प० काश्तकारी अधिनियम के धारा 60 के अन्तर्गत अभिलेख को भेजा गया है।


इस आदेश के विरुद्ध में विपक्षी अबुल मियाँ एवं अन्य द्वारा इस न्यायालय में रे०मि० अपील वाद सं०-225/87-88 दायर किया गया है।

आर०ई० वाद सं०-68/86-87 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदकगण वर्ष 2008 से लगातार न्यायालय में बिना कारण बताए अनुपस्थित है। इससे स्पष्ट होता है कि इस वाद पर आवेदकों को कोई अभिरुचि नहीं है। अतः अभिरुचि के अभाव में वाद को संचिकास्त किया जाता है। चूंकि रे०मि० अपील वाद सं०-225/87-88 आर०ई० वाद सं०-68/86-87 में पारित आदेश के विरुद्ध में दायर किया गया है, में भी इनकी उपस्थिति नहीं है। अतः इस वाद की भी कार्रवाई समाप्त की जाती है।

यह आदेश रे०मि० अपील सं०-225/87-88 में भी लागू होगा।

लेखापित एवं संशोधित।


उपायुक्त,
दुमका।


उपायुक्त,
दुमका।

Noted